न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 84/2017
दायर दिनांक – 13/10/2017
निर्णय दिनांक – 13/06/2018

अनवान

1. सुरेशचन्द्र पिता जीतमल महाजन चौकडी तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर महोदय, राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिय, तहसीलदार महोदय रेलमगरा
3. गणपतलाल पिता जीतमल महाजन चौकडी तहसील रेलमगरा
4. सागरमल पिता जीतमल महाजन चौकडी तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम चौकडी में आराजी संख्या 11, 12 ,13 ,14 ,15 ,1058 , 1059, 1088 कुल किता 8 कुल रकबा 17–14 बीघा, आराजी संख्या 195 कुल किता 1 कुल रकबा 00–03 बीघा, आराजी संख्या 1444 कुल किता 1 कुल रकबा 04–12 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। प्रमाण मे जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपिया सलंग्न है। खाता संख्या 358 मे स्थित कृषि भूमियां वर्तमान राजस्व रेकार्ड में महाजन गणपत लाल, सागरमल, बलवन्तराय पिता जीतमल के नाम पर दर्ज है। तथा खाता संख्या 359 में स्थित आराजी चाहा वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे उक्त नाम से 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज होकर खाता संख्या 360 में स्थित कृषि भूमियों मे उपरोक्त नाम 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जो स्थिति वर्तमान राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है। उक्त खातों मे दर्ज नाम बलवन्तराम पिता जीतमल गलत दर्ज किया गया है जब जीतमल की मृत्यु हुई तब उनका विरासत का नामान्तरणकरण उनके तीनों लडके गणतपलाल, सागरमल, व वादी सुरेशचन्द्र के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नाम से उक्त नामान्तरणकरण निर्णित करना था जो नाम गलत दर्ज कर वादी सुरेशचन्द्र की जगह उसका बोलता हुआ अलग नाम बलवन्तराम दर्ज कर लिया है। जबकि बलवन्तराम वादी का दुसरा बोलता हुआ नाम है। रेकार्डेड नाम वादी का सुरेशचन्द्र पिता जीतमल कोठारी है। जो स्थिति वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें ग्राम पचांयत चौकडी द्वार जारी प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंन्ट , आयकर विभाग का पेनकार्ड व आधार कार्ड आदि दस्तावेजो से भी स्पष्ट है जिससे वादी को उक्त भूमियों पर अपने नाम से ऋण लेने मे काफी कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है तथा भविष्य मे भी राजस्व रेकार्ड मे उक्त गलत नाम रेकार्ड से हटाकर बोलता हुआ नाम अंकित रहने से वादी को कई प्रकार की परेशानियां का सामना करना पडेगा एंव वादी को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी मे करना या अन्य किसी भी प्रकार से की जानी नितान्त असम्भव है। वादी ने उपरोक्त अनुसार वर्णित जमांबदियों मे अंकित वादी का गलत नाम बलवन्तराम पिता जीतमल की जगह सही नाम सुरेशचन्द्र पिता जीतमल अंकित करने बाबत प्रतिवादीगण को कहा गया जिस पर प्रतिवादीगण द्वार शुद्धिपत्र के जरिये उक्त नाम सही दर्ज करने से इन्कार कर दिया जिससे वादी की और से उक्त आशय की घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। वादी ने अन्तिम बार दिनांक 22/09//2017 को तहसीलदार महोदय रेलमगरा को सही इन्द्राज करने बाबत् निवेदन किया तो उनके द्वारा इन्कार कर दिया गया जिससे वादी के वाद प्रस्तु करने का अन्तिम हेतूक दिनांक 22/09/2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं । प्रतिवादी संख्या 01 व 02 राजस्थान राज्य के प्रतिनिधी पक्षकार होने से एवं उक्त वाद इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा का होने से सम्भावित आपत्ति के निराकरण हेतू उन्हे भी उक्त वादी आवश्यक पक्षकार के रूप मे जोडा गया है। प्रतिवादी संख्या 30 व 04 वादी क सगे भाई है जिनका नाम भी वादी के गलत नाम के साथ ही राजस्व रेकार्ड मे सयुंक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है जिनका हिस्सा उक्त वाद के आधार पर प्रभावित नही होता है। फिर भी सम्भावित आप्पति के निराकरण हेतू उक्त वाद मे प्रफोर्म पक्षकार बनाया गया है। अन्यथा वादी उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहता है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमियों ग्राम चौकडी के खाता संख्या 358, 359, 360 में अंकित सहखातेदार के रूप मे नाम बलवन्तराम पिता जीतमल विलोपित फरमाते हुए उनकी जगह दुरूस्त कर सही नाम वादी का सुरेशचन्द्र पिता जीतमल नाम अंकित फरमाया जावे तद्नुसार इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत चौकडी पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि पद संख्या 1 – सलंग्न साक्ष्य जमांबंदी अनुसार स्वीकार है। पद संख्या 2 – सलंग्न साक्ष्य जमांबंदी अनुसार स्वीकार है।पद संख्या 3 – वादी का नाम नामान्तरणकरण संख्या 153 से आया है जो सही है एंव अस्वीकार हैं। पद संख्या 4 – पद अस्वीकार है । शुद्धि की परिभाषा मे नही आता है। पद संख्या 5 – पद अस्वीकार है । शुद्धि(फर्द बदर) की परिभाषा मे नही आता है। पद संख्या 6 से 9 – वाद पत्र का अपेक्षित भाग है जवाब देना अपेक्षित नही है।

वादी एवं प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करना चाहते जिससे प्रकरण में पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रकरण में वादी का नाम सही नही होकर राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम चौकडी में आराजी संख्या 11, 12 ,13 ,14 ,15 ,1058 , 1059, 1088 कुल किता 8 कुल रकबा 17–14 बीघा, आराजी संख्या 195 कुल किता 1 कुल रकबा 00–03 बीघा, आराजी संख्या 1444 कुल किता 1 कुल रकबा 04–12 बीघ भूमि में वादी का अंकित सहखातेदार के रूप मे दर्ज नाम बलवन्तराम पिता जीतमल विलोपित करते हुए उसकी जगह दुरूस्त कर वादी के सही नाम सुरेशचन्द्र पिता जीतमल के नाम से खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुार राजस्व रेकार्ड में अंकत किया जावें। इसी डिकी पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प चौकडी पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा